195

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2860—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05—07—2016 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 92/अपील/2013—14.

.....

1— गोपाल पिता दोदे साहू
2— लल्ली पुत्री दोदे साहू
पत्नी अयोध्या प्रसाद साहू
निवासीगण ग्राम तलवा तहसील देवसंर
जिला सिंगरौली म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

फुलिया पुत्री बंशधारी पत्नी
लालमन साहू
निवासी ग्राम पुरैल तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0 प्र0

——अनावेदिका

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-9-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05—07—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजियों के दर्ज भूमिस्वामी दोदे साहू की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसों के नाम वारिसाना नामांतरण किये जाने बावत राजस्व निरीक्षक वन्दोबस्त द्वारा परिवर्तन सूची वन्दोबस्त तहसील देवसर जिला सीधी (अब सिंगरौली) वर्ष 1985 की तैयार कर प्रस्तुत की गई राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव पर सहा वन्दोबस्त अधिकारी मुताबिक सजरा वारिसाना नामांतरण प्रमाणित किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई उनके द्वारा सहायक वन्दोबस्त अधिकारी देवसर का परिवर्तन (नामांतरण) पंजी कमांक 9 आदेश दिनांक 1.3.1985 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, लेकिन आदेश दिनांक 5.7.16 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा धारा 32/51 का आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि पर विकय विलेख पर रोक लगाने के आदेश पारित किया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम तलवा की आराजी नम्बर 3, 11, 26, 48, 53 किता 5 रकवा 5.84 है0 का नामांतरण पंजी कमांक 9 आदेश दिनांक 1.3.1985 के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण कमांक 92/अपील/13–14 आदेश दिनांक 21.4.16 को निरस्त करते हुये अपीलार्थीगण के नाम वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया हे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसी प्रकरण में धारा 32 एवं 51 का आवेदन पत्र म्याद बाहर लेकर प्रकरण को सुनवाई में पुनः ग्राह्य करते हुये आवेदक को बिना सुने विवादित आराजी को प्रतिबंधित करने का आदेश दिनांक 5.7.16 को पारित कर दिया है जो विधि विरूद्व है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक जो गैरवारिस बनकर नामांतरण कराया था जो ग्राम भरसेड़ी का निवासी था जिसमें बंशधारी साहू ग्राम भरसेडी की थी ग्राम भरसेडी के बंशधारी साहू के पुत्रियां थी जिसमें प्रथम पुत्री धर्मी साहू एवं दूसरी पुत्री फुलिया साहू थी उक्त सजरा से बंशधारी साहू ग्राम भरसेडी के वारिस थे बंशधारी साहू के भूमियों में वारिसाना नामांतरण की मांग कर सकते थे इस तरह से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अवैध नामांतरण को निरस्त करते हुये आवेदकगण के नाम वारिसाना नामांतरण स्वीकार कर दिया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यदि प्रकरण का सुनवाई करने के पश्चात आदेश विधि संगत पारित कर दिया गया तो अधीनस्थ न्यायालय

को पुनः धारा 32, 51 का आवेदन पत्र ढाई माह बाद लिया गया तथा आवेदन पत्र ग्राह्य करके विक्रय से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया और आवेदकगण को तलबी का आदेश दिया जो विधि प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर दिनांक 5.7.16 का आदेश निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अंतिम आदेश में विक्रय पर रोक लगाने का जो आदेश दिया गया है वह उचित एवं सही है, अनुविभागीय अधिकारी अगर अंतिम आदेश पर स्थगन नहीं देते तो आवेदक भूमि का विक्रय कर देते जिससे न्यायालयीन प्रकिया में और उलझने होती। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिगरौली द्वारा दोदे साहू के मात्र दो वारिस गोपाल साहू एवं लल्ली साहू को वारिस माना गया और आवेदकगण की अपील स्वीकार की गई थी। अनावेदक फुलिया द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51/32 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि सहायक बन्दोवस्त अधिकारी देवसर द्वारा वारिसाना नामान्तरण विधि संगत किया गया था, किन्तु आवेदकगण गोपाल द्वारा पक्षकार का नाम व पता गुमराह कर गलत ढंग से अपील दावा अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिससे अनावेदिका को सूचना नहीं हो सकी और अपना पक्ष समर्थन का अवसर नहीं मिला। अनुविभागीय अधिकारी देवसर को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि आवेदक विवादित भूमि का विक्रय विलेख कर देंगे जिससे न्यायालय में और उलझने बढ़ेगीं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.4.16 पर स्थगन दिया गया था और नियत पेशी दिनांक 20.7.16 को आवेदकगण को आहूत किया गया था, लेकिन आवेदकगण द्वारा नियत पेशी पर उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन नहीं रखा और इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 92/अपील/2013–14 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 5.7.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर